

विचार बिन्दु

शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान नहीं, कर्म है। —हर्बर्ट स्पेन्सर

जराजीर्णता प्रतिषेध एवं प्रबंध



प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार की हठधर्मिता की पराकाष्ठा ही कहें कि विश्व विद्यालयी पेंशनर अब आंदोलन करते थक चुके हैं विडम्बना ये है कि लगभग 1८ वर्षों से चली आ रही समस्या को राज्यमुख्यमंत्री ने एक बार भी सदन में राज्य से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना तो दूर सदन को कभी समस्या से अवगत तक नहीं कराया। मैं इतिहासकारों से यह अपील करता हूँ कि इस मामले की विवेचना इतिहास लिखते समय अवश्य कर दें ताकि भविष्य की पीढ़ीओं को मार्गदर्शन मिल सके यह जानने का कि पूर्व की प्रदेश सरकारों ने क्यों और कैसे जनता के एक सबसे शिक्षित वर्ग के अधिकारों को कैसे बिना सदन में संवाद के नकार दिया।

प्रजातंत्र में एक बड़ी त्रासदी घटित होती है उनके साथ जो पूरे जीवन कार्यशील रहते अपनी सेवायें निष्ठापूर्वक देते हैं और सेवानिवृत्त पश्चात अपने ही वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी अधिकारियों के हाथों उपेक्षा के शिकार बनते हैं। राजस्थान प्रदेश में ऐसा ही एक वर्ग है सेवानिवृत्त कृषि विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कृषि अध्यापकों, कृषि वैज्ञानिकों व अनुसन्धान कर्त्ताओं और कृषि तकनीकों कोप्रसार शिक्षा के माध्यम से किसानों व उनके खेतों तक ले जाने तथा लगभग समान संख्या में सहायक और सहयोगी कर्मचारियों का। जनता की सूचना के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार ने बिना कर्मचारियों की मांग के अपनी तरफ और विवेक से वर्ष 1990 से सेवानिवृत्ति पर पेंशन का प्रावधान किया था यह प्रावधान प्रदेश के सभी अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू किया गया। पेंशन प्रावधान को लागू करने राजस्थान तब कोई अकेला प्रदेश नहीं था वल्कि उसी समय निकटवर्ती सभी प्रदेशों में यह व्यवस्था उनकी सरकारों ने आगे

पीछे लागू कर दी थी।

उत्तरप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कतिपय राजकीय संस्थानों व कुछ इने गिने संस्थानों को छोड़कर अधिकाँश शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में है। वहाँ प्राइमरी से लेकर सभी तरह की उच्च शिक्षा प्राइवेट रहते प्रदेश सरकार ने पहले तो सरकारी संस्थानों के समान वेतनमान लागू किये (यह काम श्री हेमवती नंदन बहुगुणा तब के मुख्यमंत्री ने किया था) और बाद में सभी को पेंशन भी सरकारी मापदंडों के समान प्रदान कर दी। वर्तमान में वहाँ सभी प्राइवेट संस्थानों से रिटायर कर्मचारी पेंशन सीधे सरकार से प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक वहाँ किसी भी वर्ग के सेवानिवृत्त पेंशनर की कोई शिकायत आजतक कभी सुनने को नहीं मिली। अन्य प्रदेशों में भी सभी को पेंशन बिना किसी कठिनाई वर्तमान में मिल रही है।

राजस्थान प्रदेश में जहाँ सेवानिवृत्त पेंशन पानेवालों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है वहीं कृषि विश्वविद्यालयों की तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम है क्योंकि ये सब औरों से बहुत बाद में स्थापित किये गए। ऐसे में सरकार इन संस्थानों के रिटायर सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन नहीं देना चाहती और निर्देश करती है कि पेंशन विश्व विद्यालय दे। जब सभी विश्वविद्यालय सरकार के हैं उनके सम्पूर्ण व्यय वेतन और लेवोअटरी लाइब्रेरी आदि के खर्चें सरकार ही देती है तो फिर पेंशन क्यों नहीं ?यह बात एकदम स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों की इतनी आय नहीं होती कि उससे पेंशन दी जा सके। विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या और फीस निर्धारण सरकार करती है इसलिए रेवेन्यू गणप्य रहता है। इस सब के ऊपर सरकार विश्व विद्यालयों को काट-छाँट कर नए विश्वविद्यालय स्थापित कर देती है और उनके स्थाई संचालन के लिए उनका इस्टीम्लिशमेंट खर्च ही अनाप सनाप बढ़ा लेती है क्योंकि कुलपति, कुलसचिव, वित्तिनयन्त्रक, निदेशक प्लानिंग, निदेशक अनुसन्धान, निदेशक प्रसार शिक्षा, एस्टेट अफसर, अधिष्ठाता पोस्ट ग्रेजुएट व् परीक्षा नियंत्रक और इन सबके लिए एक एक उचित पर्सनल सहायक कर्मी लगभग 16 से 1८ व्यक्तियों के कार्यवाली में वृद्धि कर लेती है।और सरकार मानती है कि इन पर कोई खर्चा नहीं होता ?

और फिर रोती है कि सरकार के पास धन की कमी है। यह कैसा चरित्र है सरकार का सभी को भूख बनाने का ,क्या सरकार को फ़िज़ुलखर्ची को कोई समझता नहीं ? राज्य सरकार जब विश्व विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारिओं को पेंशन देने से मना कर रही हो तो क्या राजस्थान प्रदेश का वेलफेयर स्टेट का दर्जा समाप्त हो चुका है? और हो भी गया हो तो सरकार मना किस आधार और नियम के अंतर्गत ऐसा कर सकती है ? क्या राज्य के विश्वविद्यालयों के पेंशनर विदेशी हैं, या घुसपैठिये जिनके साथ गैर –नागरिक जैसा तर्ताव सरकार कर रही है। सेवानिवृत्ति पर इन कर्मचारिओं का प्रोविडेंट फण्ड का आधा हिस्सा मय अर्जित ब्याज के सरकार में रोक लिया था और पेन्शन देना शुरू कर दिया था। वर्ष 1990 से लगभग 2005 तक पेंशन निर्बाध मिलती थी रही। विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड का प्रवन्ध सरकार से प्रति –नियुक्ति पर पदस्थापित वित्त नियंत्रक ही करते हैं। लेखक ने अपने कुलपति कार्यकाल में तत्कालीन वित्त नियंत्रक से प्रोविडेंट फण्ड और पेंशन के बारे में वार्तालाप किया था उस समय के वित्त नियंत्रक ने ये कहा था कि पेंशन में कोई व्यवधान सुनने को भी तैयार नहीं। डेमोक्रेसी में क्या ऐसी उपेक्षा होनी चाहिए? प्रदेश और केंद्र सरकारें इस पर पेंशन भोगिओं को कोई पेंशन देने के उपरान्त ही वर्ष 200६ – 2007 से पेंशन देने की समस्या खड़ी हो गई क्योंकि सरकार और उसके वित्त नियंत्रक पेंशन फण्ड का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत समस्या को हल कर पेंशन चालू रखे। फिर भी राज्य सरकार ने इस समस्या पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और 17–1८ वर्ष लड़ते भिड़ते पेंशनर आज यहाँ तक पहुँचे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन ढाक के तीन पाते। आश्चर्य प्रशंसनिक सचिवों के आगे कोर्ट भी निष्फल और लाचार। फिर पेंशनर क्या अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएँ ?सरकार के सचिवों की कर्तव्यों के पेंशनरों के पास पर्याप्त सबूत है यह बात सरकार को विदित रहना चाहिए इस बाबत किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई

मां, मातृभाषा एवं मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं: प्रो. बाबूराम भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना विषयक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में हुए दो तकनीकी सत्र

जोधपुर, (कांस)। मां, मातृभाषा एवं मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। भारत की सभी भाषाओं का साहित्य ही भारतीय साहित्य है। ये विचार बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. बाबूराम ने अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय तकनीकी सत्र में व्यक्त किए। सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय चेतना पर निरंतर लेखन एवं साहित्य सृजन जरूरी है। वर्तमान परिषथ में भारतीय साहित्य को ही विश्व साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारतीय साहित्य की जड़ें लोक साहित्य से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण इसकी संप्रेषिता अधिक है। सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने में हिंदी साहित्य की प्रभावी भूमिका रही है। भारतीय साहित्य लोक कल्याणकारी एवं राष्ट्र हितकारी है। यह ज्ञान का संचित कोश है।

जानकारी के अनुसार पीएम उषा योजना के तहत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के

‘देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय चेतना पर निरंतर लेखन एवं साहित्य सृजन जरूरी है’

तत्वावधान में भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना विषयक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में शनिवार को द्वितीय एवं तृतीय तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। द्वितीय तकनीकी सत्र में मणिपुर विश्वविद्यालय के प्रो. यशवंत सिंह ने पतौर मुख्य वक्ता कहा कि मणिपुर के लोगों में राष्ट्रीय चेतना पहले सामाजिक विषय था। फिर इसने साहित्य में प्रवेश किया। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मणिपुर के लोगों में मातृभूमि और मातृभाषा के भाव को अभिव्यक्त किया। सत्र में डॉ. ज्ञान सिंह शेखावत, डॉ. हीराराम बराड़, डॉ. गोविंद सिंह, डॉ. दिनेश गहलोत ने भी अपने विचार व्यक्त

राशिफल मस्तनाथ 12 अक्टूबर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-तुला, बुध-तुला, गुरू-मिथुन, शुक्र-कन्या, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज रविवयोग दिन 1:३7 से आरम्भ होगा। भद्रा दिन २:17 से रात्रि 1:२1 तक रहेगी।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:55 से 9:२1 तक, लाभ अमृत 9:२1 से 12:13 तक, शुभ 1:४0 से ३:06 तक।
राहूकाल: ४:३0 से 6:00 तक। सूर्योदय 6:२8, सूर्यास्त ५:58

समझता नहीं ?

राज्य सरकार जब विश्व विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारिओं को पेंशन देने से मना कर रही हो तो क्या राजस्थान प्रदेश का वेलफेयर स्टेट का दर्जा समाप्त हो चुका है? और हो भी गया हो तो सरकार मना किस आधार और नियम के अंतर्गत ऐसा कर सकती है ? क्या राज्य के विश्वविद्यालयों के पेंशनर विदेशी हैं, या घुसपैठिये जिनके साथ गैर –नागरिक जैसा तर्ताव सरकार कर रही है। सेवानिवृत्ति पर इन कर्मचारिओं का प्रोविडेंट फण्ड का आधा हिस्सा मय अर्जित ब्याज के सरकार में रोक लिया था और पेन्शन देना शुरू कर दिया था। वर्ष 1990 से लगभग 2005 तक पेंशन निर्बाध मिलती थी रही। विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड का प्रवन्ध सरकार से प्रति –नियुक्ति पर पदस्थापित वित्त नियंत्रक ही करते हैं। लेखक ने अपने कुलपति कार्यकाल में तत्कालीन वित्त नियंत्रक से प्रोविडेंट फण्ड और पेंशन के बारे में वार्तालाप किया था उस समय के वित्त नियंत्रक ने ये कहा था कि पेंशन में कोई व्यवधान सुनने को भी भाँति पेंशन भी सरकार से मिलती रहेगी।

लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके पद से हटने के उपरान्त ही वर्ष 200६ – 2007 से पेंशन देने की समस्या खड़ी हो गई क्योंकि सरकार और उसके वित्त नियंत्रक पेंशन फण्ड का प्रबंध करने में असफल रहे और फण्ड कम पड़ने लगा। सरकार और उसके वित्त नियंत्रक ने फण्ड को सुदृण बनाये रखने के लिए कोई उपाय नहीं किया।फलस्वरूप पेंशन न मिलती देख पेंशनरों ने लिखित में प्रार्थनायें, स्मरणपत्रों आदि से हल न होते देख आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिसकी खबर मीडिया में आने पर उच्च न्यायलय जयपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर परिवाद रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू कर दी और व्यवस्था दी कि सरकार तुरंत समस्या को हल कर पेंशन चालू रखे। फिर भी राज्य सरकार ने इस समस्या पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया और 17–1८ वर्ष लड़ते भिड़ते पेंशनर आज यहाँ तक पहुँचे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया लेकिन ढाक के तीन पाते। आश्चर्य प्रशंसनिक सचिवों के आगे कोर्ट भी निष्फल और लाचार। फिर पेंशनर क्या अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएँ ?सरकार के सचिवों की कर्तव्यों के पेंशनरों के पास पर्याप्त सबूत है यह बात सरकार को विदित रहना चाहिए इस बाबत किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई

भी कदम रखना सरकार की निष्फलता की कहानी और बदनामी ही चहुँओर सुनाई देगी, सचिवों का न कभी कुछ बिगड़ा और न बिगड़ेगा।

अभी तक पेंशनर इस बाबत अनेक मंत्री, एमपी और एमएलए से समय समय गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी ने भी बात तक नहीं सुनी। यह सब पॉलिटी में बकवास है कि डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश में सभी लोग खुशहाल और योजनाएं सुचारु चलती हैं ।

लेखक का मानना है डबल इंजन की सरकार से केंद्र की सरकार को भले ही शासन में सुगमता होती हो क्योंकि विरोध की संभावना नागप्य हो जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में इससे उदासीनता पनपती है और प्रदेश के नेता हमेशा अपनी उच्च लीडरशिप की दरफ निहारते तो हैं परतु उनसे अपनी गुहार नहीं लगा पाते । इससे प्रदेश की जनता के किसी समूह और पेंशन जैसी कठिनाई बिना किसी हल के स्थाई बनी रहती है। मेरा विचार भी अभी ऐसा बना है जब मैंने देखा कि कोई भी जनप्रतिनिधि समस्या सुनने को भी तैयार नहीं। डेमोक्रेसी में क्या ऐसी उपेक्षा होनी चाहिए? प्रदेश और केंद्र सरकारें इस पर पेंशन भोगिओं को

कोई पेंशन देने के उपरान्त ही वर्ष 2006 – दूसरा कौन करेगा ? क्या इसकी गुहार पाकिस्तान, रूस या अमेरिका आदि से करनी पड़ेगी ? अथवा इसी प्रकार उत्पन्न आर्थिक विपन्नता से वरिष्ठ लोग देवलोक सिधार जायेंगे ? प्रदेश के सभी विश्व विद्यालय और विशेष रूप से कृषि शिक्षा व अनुसन्धान के, सर्वाधिक पीड़ित हैं। इसी माह जयपुर में सभी विश्व विद्यालयों के पेंशन संचों का प्रदर्शन भी हुआ। मुखे नहीं लगता उसका भी कोई प्रभाव सरकार पर पड़ा हो ? अपेक्षाकृत कम संख्या और सामान्य तरीके से आंदोलन को कोई तब्यो नहीं देता। फिर पीड़ित वर्ग के पास क्या विकल्प और तरीका है कि उनके पेंशन मिलती रहे?

इस पूरे प्रकरण में सम्पूर्ण दोष सरकारों का रहा है जिसके लिए चाहे मंत्री जिम्मेदार हों या सचिव अथवा दोनों । पहले तो सरकार ने संस्थानों में वर्षों से स्वीकृत पदों में कमी इस सीमा तक कर दी कि वेतनभोगिओं की तत्खा ने गणविंडेट फण्ड और पेंशन अंशदान नागप्य हो गया। इसलिए यह भूल जाइये कि राज्य के विश्वविद्यालय कभी सक्षम होगे सेवानिवृत्त कर्मचारिओं को पेंशन देने में ? आज नहीं तो भविष्य में सरकार

इसको पढ़िए और संतोष से ध्यान में बैढिये, शान्ति मिलेगी। प्रार्थना करिये ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे। अनन्यथा कुछ शक्ति आने पर फिर भीख के लिए प्रयत्न शुरू कर दीजिये । एक समय न आप रहेंगे कुछ कहने के लिए और न आपके लिए कोई कहनें को बचेगा।

द्वतीय विश्व युद्ध में भी ऐसे ही हालात बन गए थे। राम भली करें, इति

—प्रो. वीर बहादुर सिंह, कृषि शिक्षा सेवा विभूत, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान

ग्रामीण सेवा शिविर में वर्षों पुराना विवाद सुलझा पांच भाइयों के बीच जमीन बंटवारे का हुआ आपसी समाधान

नागौर, (निर्सं)। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेड़ार में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला, जब ग्राम निमोड़ा के पांच भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहा कृषि भूमि के बंटवारे का विवाद मौके पर ही सुलझा लिया गया।

ग्राम निमोड़ा निवासी पांच भाई अमरदान, हेमाराम, भगराम, भीमाराम व नेहरूराम पुत्र विसाराम जाट के बीच खसरा नंबर २४1, २४2, 1४7, २२३, २२६, २२८ और २३० की कुल 1३५ बीघा कृषि भूमि को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण मामला वर्षों से लंबित था। 11 अक्टूबर को खेड़ार में एग्रे ग्रामीण सेवा शिविर में जब इन भाइयों ने अपनी समस्या रखी तो उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत सुनवाई की। तहसीलदार डीडवाना तेजपाल पारीक, उपाध्यक्ष अधिकारी मुमुक्षु कोटारी, पंचायत समिति फतेहपुर के विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों ने दोनों पक्षों की बात

ध्यानपूर्वक सुनी। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर बंटवारे का प्रस्ताव तैयार किया। तहसीलदार द्वारा तैयार बंटवारे के प्रस्ताव को सभी भाइयों ने आपसी सहमति से स्वीकार कर लिया। मौके पर ही खसरा नंबरवाा भूमि का बंटवारा सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेज भाइयों को सौंपे गए। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने राहत और प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना था कि वर्षों से चली आ रही पारिवारिक समस्या का समाधान प्रशासन की पहल से कुछ ही घंटों में हो गए, जिससे परिवार के बीच सद्भाव और सहयोग की भावना फिर से स्थापित हुई।

शिविर में राजस्व विभाग, महिला अधिकारिता, कृषि, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। यह प्रकरण ग्राम निमोड़ा के लिए एक उपलक्षण बन गया है कि जब प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचता है, तो न्याय, सहमति और समाधान एक साथ संभव हो जाते हैं।

